1172868221

136
8.10.18

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E), JHARKHAND

सत्यमेव जयते

Letter No.PEN-5/Jharkhand/IR-JUDCIARY/CIVIL/2018-19/ 1309 Dated:- 27-09-2018

UNDER SPECIAL SEAL AUTHORITY NO- 45 /2018-19

Transfered to PM-TS for n.a.

PM-I
4/10/18

526806
4/10

To,

The

1.	Principal Accountant General (A&E), Andhra Pradesh, Saifabad, Hayderabad	500004
2.	Director of Audit & Pension Govt. of Arunachal Pradesh, Naharlagun	791110
3.	Accountant General (A&E), Assam, Guwahati, Maidamgaon Beltola, Guwahati	781029
4.	Accountant General (A&E),Bihar, Birchand Patel Marg, R- Block, Patna	800001
5.	Accountant General (A&E),Chatisgarh,12/27, Raman Mandir Ward, Bilaspur Road,Fafadih, Raipur	492009
6.	Deputy Director of Accounts/P.L.I. Govt. of Goa, Directorate of Accounts, Pension Section, Panji, Goa	403101
7.	Accountant General (A&E), Gujrat, Ahmedabad Branch, Audit Bhawan, Navarangpura, Ahmedabad	380009
8.	Accountant General (A&E), Haryana, Lekha Bhawan, Plot No. 4 & 5, Sector-33-B, Chandigarh	160047
9.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Himachal Pradesh, Gorton Castle Building, Shimla	171003
10.	Principal Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Near Exhibition Ground, Srinagar	190009
11.	Principal Accountant General (A&E), Karnataka, Residency Park Road, Post Box No. 5 Bangalore	560001
12.	Accountant General (A&E), Kerla, Post Box No. 5607, M.G. Road, Thiruvananthapuram	695039
13.	Accountant General (A&E), Madhya Pradesh, Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior	474002
14.	Principal Accountant General (A&E), Maharashtra, 2nd Floor, Pratishtha Bhawan, New Marine Lines, Maharshi Karve Road, Mumbai	400020
15.	Accountant General (A&E), Maharashtra, West High Court Road, Civil Line, Nagpur	440001
16.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Manipur, Imphal	795001
17.	Accountant General (A&E), Meghalaya, Shilong	793001
18.	Accountant General (A&E),Mizoram, Shri Bualhranga Building, Dinthar,Aizawl	796001
19.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Nagaland, Kohima	797001
20.	Accountant General (A&E), Orissa, Bhubaneswar	751001
21.	Accountant General (A&E), Punjab & Union Territory of Chandigarh, Sector-17E, Chandigarh	160017
22.	Principal Accountant General (A&E), Rajasthan, Bhagwan Das Road, Jaipur	302005
23.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Sikkim, Lekha Pariksha Bhawan, Deorai, PO-Tadong, Gangtok	737102
24.	Accountant General (A&E), Tamil Nadu, 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai	600018
25.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Tripura, PO- Kunjaban, Agartala	799006
26.	Accountant General (A&E), Uttar Pradesh, 20, Sarojini Naidu Marg, Allahabad	211001
27.	Accountant General (A&E), Uttarakhand, Dehradun, Oberoy Motor Building, Saharanpur Road Majra, Dehradun	248171
28.	Principal Accountant General (A&E), West Bengal, Treasury Buildings, No.-2, Govt, Place (West), Kolkata	700001
29.	Director of Accounts and Treasuries, Got of Pondicherry, Pondicharry	605001

03 SEP 2018

पो. डोरण्डा, राँची - 834002 (झारखण्ड) P.O. Doranda, Ranchi - 834002 (JHARKHAND)
दूरभाष / Telephone : 0651-2412942, 2412582, फैक्स /Fax : 0651-2411745
E-mail : agaejharkhand@cag.gov.in

30.	Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, 3rd Flor, Akbar Bhawan, New Delhi	110007
31.	Pay & Accounts Officer (V), Delhi Administration, TIS Hazar, New Delhi	110124
32.	Chief Controller of Accounts, M/o External Affairs to the Indian Mission, Kathmandu, Akabar Bhavan, Chanakyapuri, New Delhi	110021

Subject- Grant of 30% Interim Relief to the Jharkhand State Judicial Service Pensioner/ Family pensioner's w.e.f. 01-01-2016

Sir,

I am to enclose herewith the copy of Government of Jharkhand, Finance Department L. No.11/07(वे.आ.)-05/2018//1681 dated- 11 -07 -18 on the Subject stated above under Special Seal Authority for your information and Immediate circulation among all pension disbursing authorities under your Jurisdiction.

Receipt of the above Special Seal Authority may please be acknowledged.

Encl:-As stated above.

Yours faithfully

Sr. Accounts Officer/Pen-5
Jharkhand, Ranchi

पत्रांक : 11/07 (वे०आ०)–05/2018 ....1681/वि०

झारखण्ड सरकार

योजना–सह–वित्त विभाग

(वित्त प्रभाग)

राँची, दिनांक 11.07.18

संकल्प

विषय : राज्य के सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों एवं पारिवारिक पेंशनरों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा–निर्देश के आलोक में अंतरिम राहत के तहत मूल पेंशन में 30 प्रतिशत अभिवृद्धि किए जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा W.P.(C) No. 643/2015 में दिनांक 09.05.2017 को आदेश पारित करते हुए न्यायिक पदाधिकारियों के वेतन एवं अन्य शर्त्तों के संबंध में अनुशंसा किये जाने हेतु माननीय न्यायाधीश पी० वेंकटरमा रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति द्वारा न्यायिक पदाधिकारियों को दिये जाने वाले वेतन एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में 18 महीनों की अवधि में प्रतिवेदन समर्पित किया जाना है।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा W.P.(C) No. 643/2015 All India Judges Association Vs Union of India & Ors में दिनांक 27.03.2018 को कार्यरत/सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों एवं पारिवारिक पेंशनरों को अंतरिम राहत प्रदान किए जाने का दिशा–निर्देश दिया गया है।

3. इसी बीच Member Secretary, Second National Judicial Pay Commission द्वारा मुख्य सचिव, झारखण्ड को संबोधित पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि न्यायिक पदाधिकारियों हेतु अनुशंसा किये जाने के लिए गठित समिति द्वारा अंतिम प्रतिवेदन तैयार किये जाने में उम्मीद से ज्यादा समय लग रहा है। अतएव समिति का यह प्रस्ताव है कि राज्य सरकार द्वारा इस बिन्दु पर विचार किया जाय कि न्यायिक पदाधिकारियों हेतु औपबंधिक रूप में वेतन/पेंशन का पुनरीक्षण किया जाय।

4. उक्त के आलोक में योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के संकल्प संख्या 920/वि० दिनांक 20.04.2018 द्वारा राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों का सप्तम वेतन पुनरीक्षण के परिप्रेक्ष्य में अंतरिम राहत देने हेतु वेतन पुनरीक्षण किए जाने के संबंध में विधि विभाग से मंतव्य प्राप्त किए जाने के उपरान्त निर्णय लिया गया, परन्तु सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों एवं पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में निर्णय नहीं लिया जा सका।

5. अतः सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा W.P.(C) No. 643/2015 All India Judges Association Vs Union of India & Ors में दिनांक 27.03.2018 को दिए गए दिशा–निर्देश के आलोक में सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों एवं

पारिवारिक पेंशनरों को निम्न शर्तों के साथ अंतरिम राहत की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया है :-

(i) प्राप्त मूल पेंशन में दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से 30 प्रतिशत की वृद्धि की जाय।

(ii) मौजूदा पेंशन संरचना में अनुमान्य भत्तों का भुगतान वैसे जारी रहेगा, जैसे कि पेंशन का औपबंधिक पुनरीक्षण दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से नहीं किया गया है।

(iii) इस औपबंधिक पेंशन पुनरीक्षण के फलस्वरूप निर्धारित पेंशन के बकाये राशि का भुगतान दो वित्तीय वर्ष यथा; वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में दो बराबार किस्तों में किया जायेगा।

(iv) रेड्डी कमीशन की अनुशंसा के अनुरूप न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं पारिवारिक पेंशनरों का पेंशन पुनरीक्षण होने की स्थिति में इस औपबंधिक पेंशन पुनरीक्षण के फलस्वरूप हुए अतिरिक्त भुगतान का समायोजन भविष्य में भुगतेय पेंशन से कर लिया जायेगा।

6. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 153/वि० दिनांक 27.06.2018 के क्रम में दिनांक 30.07.2018 की बैठक के मद सं० 08 में दी गई है।

<u>आदेश</u> :- **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखंड, राँची/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

Sukhdev

(सुखदेव सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 11/07 (वे०आ०)-05/2018 1681/वि

राँची, दिनांक 11.7.18

प्रतिलिपि : सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को e-गजट के रूप में राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशन करने हेतु प्रेषित।

Sukhdev

(सुखदेव सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 11/07 (वे०आ०)-05/2018 1681/वि

राँची, दिनांक 11.7.18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sukhdev

(सुखदेव सिंह)
अपर मुख्य सचिव

राँची, दिनांक 11.07.18

ज्ञापांक : 11/07 (वे०आ०)–05/2018 1681/वि०

प्रतिलिपि : माननीया राज्यपाल के सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/राज्य सरकार के सभी विभागों/सभी विभागाध्यक्षों/निबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय/सभी उपायुक्त/कोषागार पदाधिकारी, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची/नेपाल हाउस, राँची/ पी०एम०यू० कोषांग के सहायक प्रोग्रामर, को विभागीय Website पर upload करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/7/18

(सुखदेव सिंह)
अपर मुख्य सचिव।